न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 48 / 2020(2020 / 00157)

1. सुलेमान पुत्र श्री हमीरूददीन उर्फ अमीरददीन उम्र बालिग।
2. मासुम पुत्री श्री हमीरूददीन उर्फ अमीरददीन उम्र बालिग।
3. सुबराती पुत्री श्री हमीरूददीन उर्फ अमीरददीन उम्र बालिग।
4. श्रीमति नूरजहां पत्नि श्री मुस्ताक उम्र बालिग।
5. वसीम पुत्र श्री मुस्ताक उम्र बालिग।
6. नसीम पुत्री श्री मुस्ताक उम्र बालिग।
7. सन्जीदा पुत्री श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।
8. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।
9. इकबाल पुत्र श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।
10. दिलशाद पुत्र श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।
11. [redacted]बदन पुत्री श्री अहमद उम्र बालिग।
12. हमीदन पुत्री श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।
13. साहीदन पुत्री श्री अहमद मुन्शी उम्र बालिग।

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।
2. रगलाल पुत्र श्री हीरा उम्र बालिग।
3. अम्बा शकर पुत्र श्री हीरा उम्र बालिग।
4. कमला पत्नि श्री रामलाल उम्र बालिग।
5. कालू पुत्र श्री रामलाल उम्र बालिग।
6. सांवरा पुत्र श्री रामलाल उम्र बालिग।
7. मैना पुत्री श्री रामलाल उम्र बालिग।

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

8. गोपाल पुत्र ओनाड उम्र बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
9. घनश्याम पुत्र मांगूलाल उम्र बालिग जाति माली निवासी ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

([redacted] पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते रिसिवर नियुक्ति करने)

उपस्थितः–1. श्री भंवरलाल शर्मा– वकील प्राथी
2. श्री रामअवतार मीणा –वकील अप्रार्थी

–आदेशः–

दिनांक–15.9.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर तहसीलदार केकडी को रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु पेश किया निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
2665	0.53	चाही 1
2667	0.36	चाही उत्तम

उक्त आराजी प्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री अमीरद्दीन उर्फ हमीरूद्दीन पुत्र अब्दुला व अल्लाद्दीन पुत्र अब्दुला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1968 को खरीद की है तब से निरन्तर अल्लाद्दीन व अमीरूद्दीन का कब्जा चला आ रहा था क्रेता की मृत्यु के पश्चात् वारिसान प्रार्थीगण का हक व कब्जा चला आ रहा है। श्री अल्लाद्दीन नाऔलाद फौत हो चुके है श्री अमीरद्दीन उर्फ हमीरूद्दीन के वारिसान प्रार्थीगण है। उक्त आराजीयात पर निरन्तर 51 वर्षो से प्रार्थीगण व उनके पिता व दादा का व आ हक व कब्जा चला आ रहा है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व प्रतिकुल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर प्रार्थीगण उक्त आराजी के खा[illegible] काश्तकार है और प्रार्थीगण निरन्तर उक्त आराजी काश्त कर फसल प्राप्त करते आ रहे हैं इस वर्ष प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में ज्वार की फसल काश्त की है प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में कुआ खुदवा रखा है। खेत के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है। उक्त आराजी के क्रेता अमीरद्दीन उर्फ हमीरुद्दीन व अल्लाद्दीन (प्रार्थीगण के पिता व दादा) के नाम परिशोधन संख्या 26 दिनांक 07.06.1985 को नामान्तरण तस्दीक हो चुका है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं हो पाया है इस कारण यह वाद पेश करने की आवश्यकता हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 विक्रेता खातेदार के वारिस है और दिनांक 18.03.1968 से निरन्तर आज तक विक्रेता द्वारा बैचान के पश्चात् न तो विक्रेता खातेदार का हक व कब्जा है और न ही अप्रार्थीगण संख्या 2 से का हक व कब्जा है। प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 104/19 सुलेमान वगैरह बनाम सरकार वगैरह प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2019 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और आदेश दिया गया कि अप्रार्थीगण को भी पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को अर्न्तरण बय रहन नहीं करे। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के आदेश की जानकारी होते हुए भी प्रार्थीगण की आराजी हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 5 ने दिनांक 16.01.2020 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 2665 में से उसके नाम गलत अंकन के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का पंजीयन अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 के पक्ष छोकरा दिया जो अवैध व शून्य है। अवैध विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2020 के आधार पर विक्रेतागण 1[illegible]3.2020 को उक्त आराजी पर आ गये। प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करवाने पर आमादा है। माह अक्टूबर 2021 में अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 ने प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर अवैध निर्माण करने हेतु पत्थर व निर्माण सामग्री पास में डाल दी है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी खुर्द बुर्द कर दी है । उक्त आराजी प्रोपर्टी इन मिडियो हो गयी है। प्रार्थीगण की आराजी असुरक्षित हो गयी है। इस कारण न्यायहित में प्रार्थीगण की उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमान् तहसीलदार केकड़ी को रिसीवर नियुक्त किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण 2 से 7 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। जिसे शामिल मिसल किया गया। **अप्रार्थीगण का जवाब निम्नानुसार है:–**

अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 की ओर से निम्न निवेदन है कि प्रार्थना पत्र का पद नं. 1 के कथन स्वीकार है । प्रार्थना पत्र का पद नं. के कथन स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद नं. 3 में अंकित कथनों के प्रति उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

में निवेदन है कि इस चरण में प्रार्थीगण सं. 1 के पिता द्वारा उक्त आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1968 तथा श्री अल्लादीन के नाऔलाद फौत होने संबंधी तथ्य प्रार्थीगण स्वयं अपनी सक्षम साक्ष्य से सिद्ध करें। अन्य कथन अस्वीकार है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कोई दखल नही है । प्रार्थना पत्र का पद नं. 4 में अंकित कथनों का प्रतिउत्तर है कि इस चरण में अंकित कथन गलत है, अतः अस्वीकार है । उक्त आराजी पर कभी भी प्रार्थीगण या उसके पूर्वजों का किसी प्रकार का भौतिक अधिपत्य, कब्जा, काश्त नहीं रहा है। उक्त आराजी एकमात्र अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 7 के कब्जे की है तथा वे ही इसे वर्षे से बोते– जोतते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी पर गै.मु.चाह भी अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 द्वारा की गई है। प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1968 व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त आराजी पर कोई विधिक हक अधिकार सृजित नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र का पद नं. 5 रिकार्ड का विषय है अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है । प्रार्थना पत्र का पद नं. 6 में अंकित कथन गलत है, अतः अस्वीकार है, प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 का प्रारंभ से ही कब्जा काश्त है तथा उसके द्वारा इस वर्ष भी आराजी पर फसल काश्त की गई है । प्रार्थना पत्र का पद नं. 7 के कथन यहां तक स्वीकार्य है कि प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 104/19 बउनवान सुलेमान वगैरह वनाम सरकार वगैरह पेश किया था जो दिनांक 06.12.2019 को प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय खति के बिन्दु सिद्ध नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में अस्वीकार किया गया था । प्रार्थना पत्र का पद नं.8 का प्रति उत्तर यह है कि न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के प्रति किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। अप्रार्थीगण का ही प्रश्नगत आराजी पर कब्जा, काश्त है तथा ऐसी स्थिति में इस चरण में उल्लेखित कथन अविश्वसनीय एवं निराधार है। जब प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर कोई भौतिक आधिपत्य ही नहीं है तब दिनांक 17.03.2020 तथा माह अक्टूबर 2021 में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी देना बेबुनियाद कथन है। प्रार्थना पत्र का पद नं.9 में अंकित कथन गलत है अतः अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी पर किसी निर्माण कार्य बाबत् निर्माण सामग्री नहीं डाली गयी है। प्रार्थीगण के इस चरण के कथन परस्पर विरोधाभासी होने से अविश्वसनीय हैत था संदेहपूर्ण है। (यदि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी खुर्दबुर्द की होती तो निर्माण सामग्री डालने की आवश्यकता नहीं होती।) प्रार्थना पत्र का पद नं. 10 में अंकित कथनों का प्रतिउत्तर है कि दिनांक 06.12.2019 को न्यायालय श्रीमान् के द्वारा प्रश्नगत आराजी बाबत् प्रार्थीगण द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये हैं तथा अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के अधिक होगी ऐसी न्यायालय की फाईंडिंग अपने आदेश में प्रकट की गई है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया है। आराजी पर भौतिक आधिपत्य अप्रार्थीगण का है, प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को जबरन प्रश्नगत आराजी से बेदखल करने के प्रयास की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा, आधिपत्य है उक्त आराजी ना तो असुरक्षित है तथा ना ही उक्त आराजी को किसी प्रकार की क्षति कारित की जा रही है। विधिनुसार न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र आदेश में प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के हक में माना है रिसिवर नियुक्ति के जरिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनके कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करने की मंशा रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय व उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णय महत्वपूर्ण प्रदान कते हैं कि रिसिवर नियुक्त कर के कब्जाधारी को बेकब्जा किय जाना विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त एक विचारणीय बिन्दु यह भी है कि प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर विचाराधीन है, आराजी पर वास्तविक भौतिक आधिपत्य किस पक्ष का है, यह तथ्य साक्ष्य उपरांत तय किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से प्रथम दृष्टया कब्जा अप्रार्थीगण का प्रकट हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है इस परिप्रेक्ष्य में रिसिवर की नियुक्ति

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अप्रार्थीगण को उसकी कब्जेशुदा आराजी पर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है । अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें ।

बहस में **वादी अधिवक्ता** द्वारा बताया कि प्रार्थीगण उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेय की है नामांन्तरण तस्दीक हो गया परन्तु जमाबन्दी में अमल दरामद नही हो पाया। वादीगण द्वारा दिनांक 6.12.2019 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के आदेश की जानकरी होते हुऐ भी दिनांक 16.1.2020 को उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को बेचान कर दिया। व अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 ने प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। वादी अधिवक्ता द्वारा बताया कि रिसीवर के लिए कब्जा विवादित होना आवश्यक है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस मे बताया कि पूर्व से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुल व अपूर्तनीय क्षति सिद्व नही होने से अस्वीकार किया गया व प्रारंभ से ही कब्जा काश्त है प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1982 के पेज संख्या 234 पर Idol Shri Sitaramji v/s Bajrangdas-(96) व RRD 1982 के पेंज संख्या 146 पर Jai Ram v/s Teekam-(66) पेश किया। पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहसम्मान बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते रिसिवर नियुक्त करना न्यायालय को उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
ककड़ी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
ककड़ी

Scanned with OKEN Scanner